



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237446
CG-DL-E-22072022-237446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 368]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/6/2022-PSPM Division.—जबकि मेसर्स कोप्पल-नरेन्द्रा ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 138, अंसल चेम्बर्स-द्वितीय, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली - 110066 भारत पर स्थित है, ने पारेषण योजना "कोप्पल पवन ऊर्जा क्षेत्र (कर्नाटक) (2500 मेगावाट) में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की निकासी की योजना" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division दिनांक 31.01.2020 के द्वारा पारेषण योजना "कोप्पल पवन ऊर्जा क्षेत्र (कर्नाटक) (2500 मेगावाट) में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की निकासी की योजना" के अंतर्गत पूलिंग स्टेशन (मुनीराबाद के पास / कोप्पल जिले में उपयुक्त स्थान) - नरेन्द्रा (नई) 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (क्वाड मूस एसीएसआर कंडक्टर के साथ) के लिए मेसर्स कोप्पल-नरेन्द्रा ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स कोप्पल-नरेन्द्रा ट्रांसमिशन लिमिटेड ने दिनांक 15.01.2022 को (डेक्कन हेराल्ड, होस्पेट प्रकाशन) के इंग्लिश अखबार में, दिनांक 22.01.2022 को (दक्षिण भारत राष्ट्रमत, बंगलूरु प्रकाशन) के हिन्दी अखबार में, दिनांक 15.01.2022 को (प्रजावणी, हुबली धारवाड़) के स्थानीय अखबार में तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 05.02.2022 से 11.02.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स कोप्पल-

नरेन्द्रा ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 11.04.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना " कोप्पल पवन ऊर्जा क्षेत्र (कर्नाटक) (2500 मेगावाट) में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की निकासी की योजना " के तहत विद्युत लाइन विद्युत के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. पूलिंग स्टेशन (मुनीराबाद के पास / कोप्पल जिले में उपयुक्त स्थान) - नरेन्द्रा (नई) 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (क्वाड मूस एसीएसआर कंडक्टर के साथ)

योजना के अंतर्गत आने वाली ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों में से, उनके ऊपर से, आसपास से और बीच से जाएंगी:

- पूलिंग स्टेशन (मुनीराबाद के पास / कोप्पल जिले में उपयुक्त स्थान) - नरेन्द्रा (नई) 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (क्वाड मूस एसीएसआर कंडक्टर के साथ)

क्रम सं.	गांवों का नाम	तहसील	जिला
1	नागवदा, जैनपुर, मन्नूर, उप्पलदिनी टांडा, उप्पलदिनी, टक्कलाकी, हैंगरगी, मुत्तगी, यरनाल	बसवन बागवाड़ी	विजयपुरा
2	कुडगी टांडा, कुडगी, तलेवाड़	कोल्हार	विजयपुरा
3	गोलसंगी, बुदनी, मुकर्तिहाल, बिरालदिनी, हलिहाल, बिडनाल, हेब्बल, उन्नीभवी, वंडल आरएस, बेनाल, अब्बिहाल, किरसाल, गोनल, इटागी, जिरालभवी, मुद्दापुर, निदगुंडी, देवलापुर, वडावदगी, बालाबत्ती, मसुती, बुदिहाल, काशीनाकुंटी, यालागुरी	निदागुंडी	विजयपुरा
4	हुल्लूर, कलगी	मुद्देबिहाली	विजयपुरा
5	मनकानी, होसुर, नागासंपीगी, नागरल, नयनेगली, सुतगुंडर, डोमनल, बोम्मनगी, मुदाविनकोप्पा, चित्किनकोप्पा, दावलापुर, हिरी मालागवी, चित्तरगी, बेवूर, चेवेदापुर	बागलकोट	बागलकोट
6	बीसलदिनी, गंजिहाल, नंदनूर, हुवनूर, बेलगाल, मदीनापुर, चिक्का मालगावी, हदगली, पापनाथनल, गंगूर, खैरावडगी, चिक्का मागी, हिरी मागी, किरसुर, तिम्मापुर, मदापुर, हुलिहाल, कलगोनल, रक्कासागी, अमीनगढ़, सुलीभवी, बेविनमट्टी, यारानाकेरी, होनाराल्ली, नागूर, यादहल्ली, चित्ताभेडगी	हुनुकुंद	बागलकोट
7	बालकुंडी टांडा, गोरजिनल, तल्लीकेरी, इल्हाल (इलवाला), दम्मूर, होसुर	इलकल	बागलकोट
8	जिगरी, वडेगोल, म्याकलजेरी, कुंतोजी, बेंचमट्टी, नरसकोप्पा टांडा, नरसकोप्पा, गोगेरी, गुडागेरी, गजेंद्रगढ़ (गजेंद्रगढ़), उनचागेरी, मातरंगी, जिजेरी, ईरापुर, रामपुर, होसा रामपुर, हिरेकोप्पा	गजेंद्रगढ़	गडग
9	हिरी शंकरदंडी, अदुर, राजूर, च्लनप्पनहल्ली, गुंडनप्पनमाता, छपुर, कुकनूर, गोरलुकोप्पा, गवरहालु, मसाबहनचिनाला, नितली, इटागी, मंडलगेरी,	कुकानुर	कोप्पल

	बटप्पनहल्ली, मन्नापुरा, लिंगपुरा, भानापुर, तलाबल, तडकल		
10	हुचानूर, अंतरताना, कदुर, पुर्तिगेरी, येरिगोनल, कटापुर, तुर्कनूर, कलगोनल, बंदरकल, हुलोरी, हनमट्टी, कबरीगी, बिल्ली, मनेरहल, सेबंकट्टी, मुदवल्ली, हनमसागर, जुंजालकोप्पा, माविनिल्ली, गुडागोर इल्कल, चंद्रगिरी, मदनाल, गारेबल, बंकटापुर, मदकेरी, येरागेरी, तुमरीकोप, नरसापुर, कुंबलावती, झुलकट्टी, बेन्कनहाल, कलालबंदी, येलबेंची, मुगनूर, चिक्का गोनगर, हायर गोनगर, बिसनहाल, डोनेगुड, बन्नीकोप्पा आरएस, बन्नीकोप्पा	कुश्तगी	कोप्पल
11	बांदी, झुलकट्टी, बसापुर, बालुतिगी, मुधोल, चिक कोप्पा, तुममारगुड्डी, होसाहल्ली, येलबर्गा, संगनल (संगनाहला), करमुडी, कल्लूर	येलबर्गा	कोप्पल

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, कोप्पल-नरेन्द्रा ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स कोप्पल-नरेन्द्रा ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./190/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 20th June, 2022

F.No. CEA-PS-13-17(42)/6/2022-PSPM Division.—Whereas M/s. Koppal-Narendra Transmission Limited, the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, Delhi-110066, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Evacuation of power from RE Sources in Koppal Wind Energy Zone (Karnataka) (2500MW)”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division dated 31.01.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Koppal-Narendra Transmission Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Evacuation of power from RE Sources in Koppal Wind Energy Zone (Karnataka) (2500MW)”.

M/s. Koppal-Narendra Transmission Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 15.01.2022 (Prajavani, Hubballi Dharwad edition), English newspaper dated 15.01.2022 (Deccan herald, Hosapete edition), Hindi newspaper dated 22.01.2022 (Dakshin Bharat Rashtrammat, Bengaluru edition) and in Weekly Gazette of India dated 05.02.2022 to 11.02.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently M/s Koppal-Narendra Transmission Limited has submitted an affidavit dated 11.04.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Evacuation of power from RE Sources in Koppal Wind Energy Zone (Karnataka) (2500MW)”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Pooling station (near Munirabad /suitable location in Koppal distt.) – Narendra (New) 400 kV D/c Transmission Line (with Quad Moose ACSR conductor).

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, towns and cities in the state of Karnataka:

Line: Pooling station (near Munirabad /suitable location in Koppal distt.) – Narendra (New) 400 kV D/c Transmission Line (with Quad Moose ACSR conductor).

Sl. No.	Village Name	Tehsil	District
1	Nagavada, Jainapur, Mannur, Uppaldinni Tanda, Uppaldinni, Takkalaki, Hangargi, Muttagi, Yarnal	Basavan Bagewadi	Vijayapura
2	Kudgi Tanda, Kudgi, Talewad	Kolhara	Vijayapura
3	Golsangi, Budni, Mukartihal, Biralinni, Halihal, Bidnal, Hebbal, Unnibhavi, Vandal RS, Benal, Abbihal, Kirsal, Gonal, Itagi, Jiralbhavi, Muddapur, Nidgundi, Devlapur, Vadavadgi, Balabatti, Masuti, Budihal, Kashinakunti, Yalagur	Nidagundi	Vijayapura
4	Hullur, Kalagi	Muddebihal	Vijayapura
5	Mankani, Hosur, Nagasampigi, Nagaral, Naynegali, Sutagundar, Domnal, Bommanagi, Mudavinakoppa, Chitkinakoppa, Davlapur, Hire Malagavi, Chittargi, Bevrur, Chavadapur	Bagalkot	Bagalkote
6	Bisaldinni, Ganjihal, Nandanur, Huvanur, Belgal, Medinapur, Chikka Malagavi, Hadagali, Papanathanal, Gangur, Khairavadgi, Chikka Magi, Hire Magi, Kirsur, Timmapur, Madapur, Hullihal, Kallagonal, Rakkasagi, Amingarh, Sulibhavi, Bevinmatti, Yaranakeri, Honnaralli, Nagur, Yadahalli, Chittavadgi	Hungund	Bagalkote
7	Balkundi Tanda, Gorajinal, Tallikeri, Ilhal (Ilwala), Dammur, Hosur	Ilkal	Bagalkote
8	Jigeri, Vadegol, Myakaljeri, Kuntoji, Benchmatti, Naraskoppa Tanda, Naraskoppa, Gogeri, Gaudageri, Gajendragarh (Gajendragad), Unachageri, Matrangi, Jijeri, Irapur, Rampur, Hosa Rampur, Hirekoppa	Gajendragad	Gadag

Sl. No.	Village Name	Tehsil	District
9	Hire Shankarbandi, Adur, Rajur, Chlnnappanhalli, Gundnappanmata, Dyampur, Kuknur, Gorlukoppa, Gavarhalu, Masabahanchinala, Nitali, Itagi, Mandalgeri, Batappanahalli, Mannapura, Lingapura, Bhanapur, Talabal, Tadakal	Kukanuru	Koppal
10	Huchanur, Antartana, Kadur, Purtigeri, Yerigonal, Katapur, Turknur, Kalgona, Bandarkal, Hulgeri, Hanmatti, Kabbarigi, Bilgi, Manerhal, Sebankatti, Mudwatgi, Hanamsagar, Junjalkoppa, Mavinitgi, Gudadur Ilkal, Chandragiri, Venkatapur, Madkeri, Yergeri, Tumarikop, Madnal, Garebal, Narsapur, Kumblawati, Jhulkatti, Benkanhal, Kalalbandi, Yelbenchi, Muganur, Chikka Gonnagar, Hire Gonnagar, Bisanhal, Donegud, Bannikoppa RS, Bannikoppa	Kushtagi	Koppal
11	Bandi, Jhulkatti, Basapur, Balutigi, Mudhol, Chik Koppa, Tumarguddi, Hosahalli, Yelbarga, Sangnal (Sanganahala), Karmudi, Kallur	Yelburga	Koppal

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Koppal-Narendra Transmission Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Koppal-Narendra Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./190/2022-23]